FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. **District (जिला):** ACB DISTRICT **P.S. (थाना):** C.P.S Jaipur **Year (वर्ष):** 2026

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0246 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 31/08/2026 17:36 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7
2	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7A
3	भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस), 2023	61(2)

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

1. **Day(दिन):** दरमियानी दिन **Date From (दिनांक से):** 03/01/2026 **Date To (दिनांक तक):** 06/01/2026

Time Period (समय अवधि): पहर **Time From (समय से):** 10:15 बजे **Time To (समय तक):** 17:06 बजे

(b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 31/08/2026 **Time (समय):** 17:00 बजे

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 002 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 31/08/2026 17:36:03 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** SOUTH, 420 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** NOT APPLICABLE

(b)**Address(पता):** KARAYALY MUKHY CHIKITSA AVM SWASTHA ADHIKARI, PRATAPGARH

(c **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)**

Name of P.S (थाना का नाम): **District(State) (जिला (राज्य)):**

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name(नाम):** RAKESH PATIDAR

(b) **Father's Name (पिता का नाम):** BHAGTARAM PATIDAR

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 1981 **(d)Nationality(राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No(यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**
Date of Issue (जारी करने की तिथि): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) **Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):**

S.No.	Id Type	Id Number

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address(पता):**

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	DHARIYAVAD ROAD, S.L. HOSPITAL CAMPUS, PRATAPGARH, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	DHARIYAVAD ROAD, S.L. HOSPITAL CAMPUS, PRATAPGARH, RAJASTHAN, INDIA

(j) **Phone number (दूरभाष न.):** **Mobile (मोबाइल न.):**

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):**

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	JEEVRAJ MEENA		पिता:MAKNA JI MEENA	1. MIYALA POST ANAT,DHARIYAWAD,PRATAPGARH,RAJASTHAN,INDIA
2	MAHESH PATIDAR		पिता:GIRIRAJ PATIDAR	1. 08,BADODIYA, ASNAWAR,JHALAWAR,RAJAST

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):**

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		2,75,000.00

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)):** 2,75,000.00

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):**

महोदयजी, उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि दिनांक 03.01.2026 समय 10.00 ए.एम. पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के फोन पर फोन नम्बर से वाट्सअप कॉल आया और बताया कि सर मैं डॉ राकेश पाटीदार पिता श्री भगताराम पाटीदार निवासी धरियावद रोड एस.एल. हॉस्पीटल केम्पस प्रतापगढ़ से बोल रहा हूं। मुझे आपसे मिलना है जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने कार्यालय आने हेतु कहां तो बताया कि कार्यालय नही अन्यत्र मिलना चाहता हूं जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के राजकीय आवास पर मिलने हेतु कहा तत्पश्चात समय 10.15 ए.एम.पर राजकीय आवास पर उपस्थित हो परिवादी डॉ राकेश पाटीदार ने एक हस्तलिखित रिपोर्ट इस आशय की पेश की कि विषयः हमारे प्रतापगढ के (सीएमएचओ) मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी श्री जीवराज मीणा पीसीपीएनडीटी कार्य समन्वयक श्री महेश पाटीदार द्वारा रिश्वत मांगे जाने एवं पद के दुरूपयोग के संम्बन्ध में शिकायत। महादेयजी उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि उपरोक्त अधिकारीयो द्वारा पीसीपीएनडीटी से संबन्धित कार्य/हॉस्पीटल निरीक्षण / फाईल निस्तारण के एवज में मुझसे अवैध रूप से रिश्वत की मांग की जा रही है। यह मांग व्यक्तिगत रूप से कि जाती है जिसमे हमारे प्रतापगढ़ स्थित एस.एल. हॉस्पीटल चलाने हेतु 100000/- (एक लाख रूपये) एवं एस. एल. हॉस्पीटल प्रतापगढ़ में सोनोग्राफी संचालन हेतु 50,000/- (पच्चास हजार रूपये) एवं हमारे धरियावद में एस.एल. हॉस्पीटल संचालन हेतु 100000/- (एक लाख रूपये) एवं एस.एल. हॉस्पीटल धरियावद में सोनोग्राफी संचालन हेतु 50,000/- (पच्चास हजार रूपये) एवं एस. एल. हॉस्पीटल प्रतापगढ़ में MAA-आयुष्मान योजना के M.O.U. पर हस्ताक्षर करने हेतु 150000/- (एक लाख पच्चास हजार रूपये) की मांग की जा रही है एवं मासिक तौर पर भी 25000/- प्रति महीना का रिश्वत राशि भुगतान हेतु मांग की जा रही है, उक्त सभी राशी दलाल महेश पाटीदार के मार्फत CMHO जीवराज मीणा द्वारा ली जा रही है एवं निरन्तर मांगी जा रही है। राशि नही देने पर CMHO द्वारा परेशान करने एवं सभी संस्थाओ में अनियमितता दिखा कर कारवाही करने का दबाव बनाया जा रहा है। मेरा निजी तौर पर इन दोनो से कोई निजी लेनदेन या उधार बकाया नही है एव ना ही मेरा इनसे किसी प्रकार की निजी दुश्मनी व मनमुटाव नही है। अतः आपसे अनुरोध है कि इस शिकायत को गंभीरता से लेते हुए आवश्यक कानुनी कारवाई सुनिश्चित करने की कृपा करे। मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। तो डॉ राकेश पाटीदार द्वारा प्रस्तुत हस्तलिखित प्रार्थना पत्र को मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा शब्द ब शब्द पढ़कर सुनाया गया तो परिवादी द्वारा सही होना एवं प्रार्थना पत्र स्वयं द्वारा हस्तलिखित एवं स्वय के हस्ताक्षरित होना स्वीकार किया। परिवादी द्वारा अपनी पहचान के सम्बन्ध में स्वयं का आधार कार्ड पेश किया एवं अपना नाम गोपनिय रखने हेतु बताया जिसे बाद अवलोकन शामिल कार्यवाही किया गया। उक्त लिखित रिपोर्ट से मामला रिश्वत राशि लेनदेन एवं ट्रेप कार्यवाही का पाया गया। मजिद पुछताछ करने पर परिवादी ने बताया कि सर में अभी महेश पाटीदार को कॉल कर पुछ लेता हूं अगर बात करने हेतु मुझे सीएमएचओ ऑफिस बुलाता है तो आज ही महेश पाटीदार व सीएमएचओ साहब जीवराज मीणा रिश्वत राशि की मांग कर सकते है। दिनांक 03-1-2026 समय 10.30 ए.एम पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा सुचना विश्वनीय होने एवं रिश्वत राशि मांग सत्यापन कराया जाना आवश्यक होने से कार्यालय में उपस्थित श्री नरेन्द्र सिंह कानि. न. 324 को जरिये वाट्सअप कॉल कर कार्यालय के मालखाने से डिजीटल वॉइस रिकोर्डर मय रिक्त मेमोरी कार्ड को लेकर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के सरकारी आवास परं उपस्थित होने हेतु निर्देशित किया गया। इसके तुरन्त बाद मालखाना प्रभारी श्री दिलीप कुमार कानि. नं. 319 को जरिये फोन निर्देश दिये कि कानि. नरेन्द्र सिंह को मालखाने से डिजीटल वॉइस रिकोर्डर मय रिक्त मेमोरी कार्ड सुपुर्द करे। दिनांक 03-1-2026 समय 10.50 ए.एम पर कानि. नरेन्द्र सिंह नं. 324 मय डिजिटल वॉइस रिकॉर्डर मय खाली मैमोरी कार्ड के उपस्थित मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के सरकारी आवास हो डिजिटल वॉइस रिकॉर्डर मय खाली मैमोरी कार्ड मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को सुपुर्द किया। मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा परिवादी डॉ. राकेश पाटीदार को उक्त डिजिटल वॉइस रिकार्डर के संचालन की विधि को भलीभांति समझाया गया तथा श्री नरेन्द्र सिंह कानि. व परिवादी डॉ. राकेश पाटीदार का आपस में परिचय करवाया गया तथा श्री नरेन्द्र सिंह कानि० को परिवादी के साथ जाकर रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता कर लाने की हिदायत दी यह भी हिदायत दी गई कि बाद सत्यापन कार्यवाही ब्यूरो कायालर्य में उपस्थित होवे। इसके उपरान्त मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के सरकारी आवास पर ही कानि.नरेन्द्र सिंह द्वारा परिवादी डॉ. राकेश पाटीदार को संदिग्ध महेश पाटीदार के मोबाईल नम्बर पर कॉल करने तथा

मोबाईल को लाउड स्पीकर पर रखने की हिदायत देकर कानि नरेन्द्र सिंह द्वारा उक्त दोनो की वार्ता को रिकोर्ड करने हेतु ब्यूरो के डिजिटल वॉइस रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड को समय 1105 ए.एम पर चालु कर परिवादी के मोबाईल नम्बर से संदिग्ध महेश पाटीदार के मोबाइल नम्बर पर फोन लगवाया गया तो संदिग्ध महेश पाटीदार ने परिवादी का कॉल नहीं उठाया जिस पर कानि नरेन्द्र सिंह द्वारा उक्त डिजिटल वॉइस रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड बन्द कर अपने पास सुरक्षित रख लिया। तत्पश्चात परिवादी व कानि. नरेन्द्र सिंह मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के राजकीय आवास पर ही संदिग्ध महेश पाटीदार के कॉल के इंतजार में रहे। दिनांक 03-01-2026 समय 11.08 ए.एम.पर परिवादी डॉ राकेश पाटीदार के मोबाईल नम्बर पर संदिग्ध श्री महेश पाटीदार के मोबाईल नम्बर से जरिये वाट्सअप कॉल आया जिस पर कानि. नरेन्द्र सिंह द्वारा ब्यूरो के डिजिटल वॉइस रिकोर्डर मय मेमोरी कार्ड को चालु कर परिवादी द्वारा मोबाईल को लाउड स्पीकर पर रख दोनो के मध्य हुई वार्ता को कानि नरेन्द्र सिंह द्वारा रिकोर्ड की गई। संदिग्ध महेश पाटीदार द्वारा परिवादी को बताया कि ऑफिस हूं आपके वही सेन्टर पर आ जाउंगा बात करते वही बैठ के डेढ घण्टे का काम है मेरा उसके बाद । तत्पश्चात परिवादी ने मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को बताया कि सर में अभी मेरे सेन्टर एस.एल. हॉस्पीटल जा रहा हूं। महेश पाटीदार डेढ घण्टे बाद मेरे सेन्टर पर आने की कह रहा है जिस पर आप नरेन्द्र सिंह जी को एक घण्टे बाद मेरे सेन्टर पर भेज देना। तत्पश्चात मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा परिवादी एवं कानि. नरेन्द्र सिंह नं. 324 को उक्त कार्यवाही की गोपनीयतता रखने एवं एस.एल. हॉस्पीटल व ब्यूरो कार्यालय की दुरी ज्यादा नहीं होने से कानि. नरेन्द्र सिंह को ब्यूरो कार्यालय एवं परिवादी को उसके सेन्टर एस.एल. हॉस्पीटल की तरफ रवाना किया गया। दिनांक 03-01-2026 समय 12.05 पी.एम. पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा कानि. नरेन्द्र सिंह नं. 324 मय ब्यूरो के डिजिटल वॉइस रिकोर्डर मय मेमोरी के एस.एल. हॉस्पीटल प्रतापगढ पहुंच परिवादी से सम्पर्क कर रिश्वत राशि मांग सत्यापन करने हेतु हिदायत मुनासिब कर रवाना किया गया। दिनांक 03-01-2026 समय 01.30 पी.एम. पर कानि. नरेन्द्र सिंह नं. 324 मय ब्यूरो के डिजिटल वॉइस रिकोर्डर मय मेमोरी कार्ड उपरोक्त फिगरा का खानाशुदा हाजिर ब्यूरो कार्यालय हो मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को ब्यूरो का डिजिटल वॉइस रिकोर्डर मय मेमोरी सुपुर्द कर बताया कि श्रीमान के निर्देशानुसार ब्यूरो कार्यालय से रवाना हो समय 12.10 पी.एम पर एस. एल. हॉस्पीटल परिसर पहुंच परिवादी के कक्ष ओपीडी नं. 02 के बाहर लगी कुर्सी पर पेशेन्ट बनकर बैठा रहा। परिवादी ने मुझे देखते ही अपने कक्ष में बुलाकर बताया कि अभी तक महेश पाटीदार का फोन नही आया है आप यही रहें तत्पश्चात परिवादी को ब्यूरो के डिजिटल वॉइस रिकोर्डर को चालु बन्द कराना समझा रहा था कि समय 1219 पी.एम पर रिकोर्ड पर बटन दबने से डिजिटल वॉइस रिकोर्डर चालु हो गया जो कि खाली वार्ता है। तत्पश्चात करीब एक घण्टे तक संदिग्ध महेश पाटीदार के आने के इन्तजार में रहा। समय 0120 पी. एम पर परिवादी द्वारा मन् कानि. को अवगत कराया कि सर आज महेश पाटीदार सीएमएचओ ऑफिस में वी.सी. चल रही है इसलिये आज वो एस. एल. हॉस्पीटल नही आयेगा इस कारण आज महेश पाटीदार से वार्ता नही हो पायेगी। जब भी महेश पाटीदार मुझे वार्ता के लिये बुलायेगा तो में आपसे या फिर साहब से फोन पर सम्पर्क कर बता दूंगा उस समय आप आ जाना। जिस पर रवाना हो ब्यूरो कार्यालय उपस्थित हो हालात आपको निवेदन किये। तत्पश्चात मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा डिजिटल वॉइस रिकोर्डर मय मेमोरी कार्ड मालखाना प्रभारी श्री दिलीप कुमार कानि. को कार्यालय कक्ष में बुलाकर सुरक्षित मालखाना में रखने हेतु सम्भलाया गया। तथा कानि. नरेन्द्र सिंह को मामले की गोपनियता रखने एवं परिवादी का कॉल आते ही मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को अवगत कराने हेतु हिदायत मुनासिब की गई। दिनांक 06-01-2026 समय 04.15 पी. एम. पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय कार्यालय जाप्ता वास्ते गोपनीय कार्यवाही हैतु सर्कल में गया हुआ समय 03.30 पी.एम पर ब्यूरो कार्यालय उपस्थित आया। समय 12.35 पी.एम. पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के मोबाईल पर जरिये वाट्सअप परिवादी डॉ राकेश पाटीदार के मोबाईल नम्बर से कॉल आया जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा बताया कि बाहर हु बाद में बात करता हूँ। तत्पश्चात समय 12.40 पी.एम. पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा परिवादी डॉ राकेश पाटीदार के मोबाइल नम्बर पर जरिये वाट्सअप कॉल किया तो परिवादी द्वारा बताया कि महेश पाटीदार ने मुझे बुलाया है बात करने जाना है इस पर मैने बताया कि सभी स्टॉफ मेरे साथ बाहर है थोडा इन्तजार करे। दिनांक 06-01-2026 समय 04.40 पी.एम. पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा परिवादी के मोबाईल नम्बर पर जरिये वाट्अप कॉल सम्पर्क किया तो परिवादी ने बताया कि सर मैं एस.एल. हॉस्पीटल हु इन्तजार कर रहा हूं जिस पर कानि. नरेन्द्र सिंह नं. 324 को डिजिटल वॉइस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड सुपुर्द कर एस.एल. हॉस्पीटल पहुंच परिवादी से सम्पर्क कर सत्यापन की कार्यवाही करने हेतु हिदायत मुनासिब कर रवाना किया गया। दिनांक 06-01-2026 समय 08.40 पी.एम. पर उपरोक्त फिगरा का रवानाशुदा कानि. नरेन्द्र सिंह नं. 324 मय डिजिटल वॅईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड के हाजिर कार्यालय हो डिजिटल वॉइस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को सुपुर्द कर बताया कि ब्यूरो कार्यालय से रवाना हो एल.एल. हॉस्पीटल परिसर पहुंचा तो वहा परिवादी डॉ राकेश पाटीदार उपस्थित मिला परिवादी को ब्यूरो का डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर चालु कर सुपुर्द कर सीएमएचओ ऑफिस प्रतापगढ़ के लिये रवाना कर मैं परिवादी के पिछे-पिछे सी.एम.एच.ओ. ऑफिस के आसपास अपना छुपाव हासिल किये परिवादी के इन्तजार में रहा। समय 08.30 पी.एम. पर परिवादी मेरे पास आया व डिजिटल वॉइस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड मुझे सुपुर्द

किया जिसे मैंने बन्द कर सुरक्षित अपने पास रख लिया तब परिवादी ने मुझे कहां कि साहब सी.एम.एच.ओ. साहब ने तो पेसे लेने की बात नही कि है महेश पाटीदार ने रिश्वत राशि मांगी है जो डिजिटल वॉइस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड हो गयी है। जिस पर मेने परिवादी को मामले की गोपनीयता रखने व अग्रीम कार्यवाही हेतु आपको सुचित करा दिया जायेगा हिदायत मुनासिब कर रवाना हो ब्यूरो कार्यालय आया हूं। कानि. नरेन्द्र सिंह नं. 324 द्वारा डिजिटल वॉइस रिकॉर्डर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को सुरक्षित सुपुर्द किया। मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा वार्ता के मुख्य अंश सुने जिसमें परिवादी के कथन की पुष्टि हुई। आईन्दा परिवादी से सम्पर्क कर अग्रिम ट्रेप कार्यवाही की जावेगी। डिजिटल वॉइस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड मालखाना प्रभारी श्री दिलीप कुमार को सुपुर्द कर सुरक्षित मालखाना में रखवाया गया। दिनांक 07-01-2026 समय 09.57 ए.एम. पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा परिवादी के मोबाईल नम्बर पर जरिये वाट्अप कॉल कर दिनांक 06.01.2026 को किये गये रिश्वत राशि मांग सत्यापन के सम्बन्ध में बताया कि महेश पाटीदार का सत्यापन स्पष्ट है लेकिन सी.एम.एच.ओ. जीवराज मीणा का सत्यापन स्पष्ट नही है। परिवादी डॉ.राकेश पाटीदार को महेश पाटीदार के विरूद्ध अग्रीम ट्रेप कार्यवाही करने हेतु रिश्वत में दी जाने वाली राशि की व्यवस्था कर सुपुर्द करने हेतु कहा गया जिस पर परिवादी डॉ राकेश पाटीदार ने बताया कि सर में अकेले महेश पाटीदार के खिलाफ कार्यवाही नही कराना चाहता हूं में सीएमएचओ जीवराज मीणा के विरूद्ध भी कार्यवाही कराना चाहता हूं। अगर आप सीएमएचओ जीवराज मीणा को रंगेहाथो गिरफतार करते हो तो ही आप महेश पाटीदार को ट्रेप करो अन्यथा अकेले महेश पाटीदार के खिलाफ में कार्यवाही नही कराना चाहता हूं। जिस पर परिवादी को मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा काफी समझाईस की कि सी.एम.एच.ओ. का सत्यापन स्पष्ट नही है इस कारण सी.एम.एच.ओ. जीवराज मीणा को रंगे हाथो गिरफ्तार नही किया जा सकता जिस पर परिवादी ने बताया कि साहब में सी.एम.एच.ओ.का पुनः सत्यापन की कोशिश करना चाहता हूं। मैं जिस दिन सी.एम.एच. ओ. जीवराज मीणा से बात करने जाउंगा उस दिन आपको फोन कर बता दूंगा। जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा मामले की गोपनीयता रखने की हिदायत मुनासिब की गई। दिनांक 09-01-2026 समय 01.255 पी.एम.पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के मोबाईल नम्बर पर परिवादी डॉ राकेश पाटीदार कें मोबाईल नम्बर से जरिये वॉट्सअप कॉल कर बताया कि सी.एम.एच.ओ. जीवराज मीणा की उदयपुर शिकायत हुई है जिस पर उदयपुर से जॉईन्ट डाईरेक्टर के नेतृत्व में एक टीम जाँच के लिये 06.01.2026 को आई थी उसके बाद सी.एम.एच.ओ. की तरफ से प्रतापगढ में संचालित सभी प्राईवेट अस्पताल क्लिनिक, लैब तथा सोनोग्राफी सेन्टरो से लिखवाकर लिया जा रहा है कि सी.एम. एच.ओ. या उनके कार्यालय से किसी ने भी आप सेन्टर संचालाको से अवैध राशि की मांग नहीं की है। एवं महेश पाटीदार ने भी अवैध राशि की मांग नहीं की है उक्त लिखित में रिपोर्ट सीएमएचओ जीवराज मीणा व महेश पाटीदार द्वारा हर सेन्टर पर जाकर स्वयं ली है मेरे हॉस्पीटल भी अभी दोनो आये थे और मुझसे भी ऐसा ही लिखवा कर ले गये है। जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा सी.एम.एच.ओ. जीवराज मीणा से सत्यापन के सम्बन्ध में पुछा तो परिवादी ने बताया कि सर अभी इनके विरूद्ध जॉच चल रही है इसलिये ये अभी अपने ऑफिस के सभी कागजात ओर रिकोर्ड को सही करने में लगे हुए है इस कारण ये अभी रिश्वत की मांग नही करेगें इसलिये थोडे दिन रूकने के बाद ही सी.एम.एच.ओ. साहब के पास बात करने जाउंगा तथा मै आपको कॉल कर अवगत करा ढुंगा। जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने मामले गोपनीयता रखने हेतु हिदायत मुनासिब की गई। दिनांक 18-01-2026 समय 11.15 ए.एम. पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा परिवादी के मोबाईल नम्बर पर जरिये व्हाट्अप कॉल कर अग्रीम कार्यवाही हेतु पुछा तो परिवादी ने बताया कि मैं अभी 2-3 दिन बाहर हूं। मैं आपको कॉल कर बता दूंगा। दिनांक 23-01-2026 समय 10.30 ए.एम पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक दिनांक 20.21 एवं 22.01.2026 के आकस्मिक अवकाश में रखानाशुदा बाद अवकाश भुगतान के हाजिर कार्यालय आया। दिनांक 24-01-2026 समय 11.41 ए एम पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा परिवादी डॉ राकेश पाटीदार के मोबाईल नम्बर पर जरिये वॉट्सअप कॉल कर अग्रीम ट्रेप कार्यवाही के बारे में पुछा तो परिवादी ने बताया कि आज शनिवार है सीएमएचओ कार्यालय में आज ओर कल रविवार का अवकाश है 26 जनवरी बाद सीएमएचओ जीवराज मीणा से बात करने जाउंगा। जिस दिन बात करने जाउंगा आपको फोन करके बता दूंगा। जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा परिवादी डॉ राकेश पाटीदार को मामले की गोपनीयता रखने की हिदायत मुनासिब की गयी। दिनांक 30-01-2026 समय 11.05 ए.एम पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के मोबाईल नम्बर पर परिवादी डॉ राकेश पाटीदार के मोबाईल नम्बर से जरिये वॉट्सअप कॉल कर बताया कि सर अभी मैं आधे घण्टे बाद सी.एम.एच. ओ. जीवराज मीणा से बात करने जा रहा हूं। जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा कार्यालय के मालखाना से मालखाना प्रभारी श्री ईश्वरलाल कानि. नं. 320 से डिजिटल वॉइस रिकॉर्डर मय रिक्त मेमोरी कार्ड निकालकर लाने हेतु कहां जिस पर कानि. ईश्वरलाल द्वारा डिजिटल वॉइस रिकॉर्डर मय रिक्त मेमोरी कार्ड पेश किया। तत्पश्चात कानि. नरेन्द्र सिंह को ब्यूरो का डिजिटल वॅईस रिकॉर्डर मय उक्त रिक्त मेमोरी कार्ड सुपुर्द कर परिवादी से जरिये टेलिफोन सम्पर्क कर सी.एम. एच.ओ. श्री जीवराज मीणा से रिश्वत राशि मांग सत्यापन की कार्यवाही हेतु हिदायत मुनासिब कर रवाना किया गया। दिनांक 30-01-2026 समय 01.20 पी.एम पर कानि. नरेन्द्र सिंह नं. 324 मय डिजिटल वॉइस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड के उपरोक्त फिगरा का रवानाशुदा उपस्थित कार्यालय हो डिजिटल वॉइस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को

सुपुर्द कर बताया कि कार्यालय से रवाना हो परिवादी डॉ राकेश पाटीदार के मोबाईल नम्बर पर जरिये वॉटसअप कॉल कर मिलने हेतु कहा तो परिवादी ने बताया कि सर आप एस.एल. हॉस्पीटल मत आना में आपको रास्ते में ही मिल जाउंगा जिस पर मेने कहा की आप कलेक्ट्री के सामने खेल मैदान रोड पर मिलो तत्पश्चात मै खेल मेदान रोड पर पहुंच परिवादी के इन्तजार में रहा उस दौरान मन् कानि. द्वारा समय 11.35 ए.एम. पर डिजिटल वॉइस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड को चालु कर चैक किया जो सही हालत में होना पाया गया। कुछ देर बाद परिवादी खेल मेंदान रोड पर उपस्थित आया जिसे ब्यूरो का डिजिटल वॉइस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड चालु कर सुपुर्द रवाना सी.एम.एच.ओ. ऑफिस की तरफ किया तथा में वही अपनी उपस्थिती छुपाकर आसपास रहा। समय 01.10 पी.एम. पर परिवादी डिजिटल वॉइस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड के उपस्थित आया जिसे प्राप्त कर बन्द कर सुरक्षित मेरे पास रख लिया। तत्पश्चात परिवादी ने बताया कि सर आज भी सी.एम.एच.ओ. साहब व महेश पाटीदार मिले थे लेकिन सी.एम.एच.ओ. साहब ने रिश्वत राशि की स्पष्ट मांग नहीं की है। जिस पर मेरे द्वारा परिवादी को मामले की गोपनीयता रखने व अग्रीम कार्यवाही की सुचना जरिये मोबाईल अवगत कराने हेतु हिदायत मुनासिब कर उपस्थित कार्यालय आया हूं। जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा वार्ता के मुख्य अंश सुने गये। आईन्दा परिवादी से सम्पर्क कर अग्रिम ट्रेप कार्यवाही की जावेगी। डिजिटल वॉइस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड मालखाना प्रभारी श्री दिलीप कुमार को सुपुर्द कर सुरक्षित मालखाना में रखवाया गया। दिनांक 31-01-2026 समय 12.30 पी.एम पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा परिवादी के मोबाईल नम्बर पर जरिये वाट्सअप कॉल कर अवगत कराया कि आप द्वारा कल दिनांक 30.01.2026 को ब्यूरो के डिजिटल वॉइस रिकॉर्डर मय मेमोरी में रिकोर्ड की गई वार्ता में सी.एम.एच.ओ. जीवराज मीणा की तरफ से रिश्वत राशि माग स्पष्ट नहीं है केवल महेश पाटीदार की वार्ता स्पष्ट है। इस पर परिवादी द्वारा बताया कि साहब मुझे सीएमएचओ के खिलाफ कार्यवाही करनी है महेश पाटीदार सीएमएचओ जीवराज मीणा के लिये रिश्वत मांग रहा है मुझे अकेले महेश पाटीदार के खिलाफ कार्यवाही नही करवानी है। मैं सी.एम.एच. ओ. को रंगेहाथो गिरफ्तार करवाना चाहता हूं अगर सीएमएचओ जीवराज मीणा के साथ महेश पाटीदार भी गिरफ्तार होता है तो मुझे कोई आपत्ती नही है। कुछ दिन और इन्तजार करते है ये मेरे से रिश्वत राशि जरूर मांगेगा तब मैं सीएमएचओ जीवराज मीणा का सत्यापन करा दूंगा। जिस पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा परिवादी डॉ राकेश पाटीदार को मामले की गोपनीयता रखने हेतु हिदायत मुनासिब की गई। दिनांक 02-02-2026 समय 08.00 पी.एम पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक इमरोज माननीय न्यायालय श्रीमान विशिष्ट न्यायाधीश पोक्सो कोर्ट डुंगरपुर के प्रकरण संख्या 44/2025 में शहादत में गया हुआ बाद शहादत रवाना हो कार्यालय उपस्थित आया। दिनांक 04-02-2026 समय 09.40 ए.एम पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा परिवादी डॉ राकेश पाटीदार के मोबाईल नम्बर 7023104070 पर जरिये वॉट्सअप कॉल परिवादी से ट्रेप कार्यवाही के सम्बन्ध में पुछा तो परिवादी द्वारा बताया कि सर 2-3 दिन बाद में सीएमएचओ जीवराज मीणा से बात करने जाउंगा। मैं सीएमएचओ जीवराज मीणा का सत्यापन करा दूंगा। जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा परिवादी डॉ राकेश पाटीदार को मामले की गोपनीयता रखने हेतु हिदायत मुनासिब की गई। दिनांक 07-02-2026 समय 10.00 ए.एम. पर इमरोजा दैनिक भास्कर के प्रतापगढ संस्करण में समाचार प्रकाशित हुआ कि सीएमएचओ ने ट्यूबवेल लगवाई, एक लाख रू. का बिल निजी अस्पताल से वसुला, दलाल की धौंस अफसर मंत्री के रिश्तेदार उक्त हेडलाईन से प्रकाशित समाचार में आरोपी दलाल महेश पाटीदार एवं परिवादी डॉ राकश पाटीदार के बीच की बातचीत के अंश प्रकाशित है समाचार के अनुसार डॉ राकेश पाटीदार ने बातचीत का ऑडीयो दैनिक भास्कर को उपलब्ध कराया एवं यह बातचीत नवम्बर या दिसम्बर माह की है। समाचार में डॉ राकेश पाटीदार, आरोपी महेश पाटीदार एवं संदिग्ध सीएमएचओ श्री जीवराज मीणा के कथन भी प्रकाशित है। डॉ राकेश पाटीदार ने भास्कर संवादाता को बताया कि सीएमएचओ ऑफिस में कार्यरत पीसीपीएनडीटी एक्ट के कोर्डिनेटर महेश पाटीदार ने सीएमएचओ डॉ जीवराज मीणा के खेत में लगी मोटर के बिल का भुगतान मुझे करने को कहा। दबाव बनाकर यह राशि वसुली गई। लंबे समय से अस्पताल निरीक्षण और अन्य कागजी कार्रवाही को लेकर मुझसे पैसो की अवैध वसूली की जा रही है। आईन्दा परिवादी डॉ राकेश पाटीदार से सम्पर्क कर अग्रीम कार्यवाही की जावेगी। दिनांक 09-02-2026 समय 12.45 पी.एम. पर दिनांक 07.02.2026 को दैनिक भास्कर में समाचार प्रकाशित होने के बाद से परिवादी डॉ राकेश पाटीदार ने अभी तक मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक से सम्पर्क नही किया है जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा कानि नरेन्द्र सिंह को कार्यालय कक्ष में बुलाकर पुछा कि परिवादी डॉ राकेश पाटीदार का फोन आया या नही तो कानि. द्वारा नहीं आना बताया जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा कानि. को निर्देशित किया कि परिवादी से अग्रीम कार्यवाही हेतु फोन पर बात कर मुझे अवगत करावे। जिस पर समय 12.58 पीएम पर कानि. नरेन्द्र सिंह द्वारा परिवादी के मोबाईल नम्बर पर जरिये वॉट्सअप कॉल सम्पर्क कर अग्रीम कार्यवाही हेतु पुछा तो परिवादी ने बताया कि सर मेरी न्यूज अखबार में आ गई है अब सीएमएचओ जीवराज मीणा व महेश पाटीदार मुझसे रूपये की मांग नही करेगें ओर ना ही मुझसे रूपये लेंगें में श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय से बात कर लुंगा । कानि व परिवादी के मध्य हुई बातचित से कानि. द्वारा मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को अवगत कराया गया। दिनांक 09-02-2026 समय 06.48 पी.एम. पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने परिवादी डॉ राकेश पाटीदार से जरिये फोन वार्ता की एवं बताया कि चूंकि समाचार पत्र में खबर प्रकाशित हो जाने के बाद अब अग्रिम ट्रेप

कार्यवाही संभव नहीं है अतः आपकी रिपोर्ट पर प्रतापगढ़ चौकी द्वारा अब तक जो कार्यवाही की गई है उसे मुख्यालय भेजा जाना है अतः आप जब भी समय मिले कार्यालय में मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक से मिले जिस पर परिवादी ने बताया कि मेरे मामाजी का अहमदाबाद में ऑपरेशन है मैं वहां से फी होकर आपसे मिलता हूं। दिनांक 13-02-2026 समय 02.52 पी. एम पर परिवादी डॉ राकेश पाटीदार ने मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को जरिये फोन बताया कि मैं सोमवार को आपसे कार्यालय में मिलता हूं फिर इसमें आगे की जाने वाली कार्यवाही आप करें। दिनांक 16-02-2026 समय 03.00 पी.एम पर परिवादी डॉ राकेश पाटीदार मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के समक्ष कार्यालय पर उपस्थित होकर एक हस्तलिखीत रिपोर्ट इस आशय की पेश की कि विषयः प्रतापगढ CMHO डॉ. जीवराज मीणा एवं PCPNDT कार्य समन्वयक महेश पाटीदार के खिलाफ 03.01.2026 को दिये गये परिवाद के संदर्भ में। महोदयजी, उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि मेने 03.01.2026 को जो परिवाद दिया था उसके बाद ACB द्वारा उपयुक्त करवाई करते हुए दोनो CMHO एवं महेश पाटीदार की वार्ता एवं पैसो की मांग की रिकोर्डिंग ACB टीम द्वारा दिये डीवाईस में किया गया है एवं चुकि मुख्य आरोपी जीवराज मीणा (CMHO) एवं महेश पाटीदार को दोनो ट्रेप करवाने व रिश्वत लेते हुए पकडवाना चाहता था एवं निरन्तर ACB टीम भी इनको रिश्वत लेते ट्रेप करने की कारवाई एवं प्रयासरत थी लेकिन बार बार पैसा रिश्वत लेने को लेकर समय टाल रहे थे परन्तु दिनांक 07.02.2026 को दैनिक भास्कर अखबार में CMHO जीवराज मीणा एवं महेश पाटीदार के उपर भ्रष्टाचार के आरोप की न्युज आने से अब दोनो के द्वारा मेरे से किसी प्रकार की रिश्वत राशि लेने की संभावना नही बचती है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि अभी तक जो सबुत और रिकोर्डिंग की गई है उसी डाटा के आधार पर अग्रिम कारवाई करने की कृपा करे। परिवादी डॉ राकेश पाटीदार द्वारा प्रस्तुत हस्तलिखित प्रार्थना पत्र को मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा शब्द ब शब्द पढ़कर सुनाया गया तो परिवादी द्वारा सही होना एवं प्रार्थना पत्र स्वयं द्वारा हस्तलिखित एवं स्वय के हस्ताक्षरित होना स्वीकार किया। जिसे प्राप्त कर शामिल कार्यवाही किया गया। अग्रीम ट्रेप कार्यवाही सफल नही होने से रिश्वत राशि मांग की कार्यवाही की अग्रीम कार्यवाही हेतु दो स्वतंत्र गवाह की आवश्यकता होने से कानि. नरेन्द्र सिंह नं. 324 को दो स्वतंत्र गवाह हेतु तेहरीर मुर्तिब करने बाबत् निर्देशित किया गया। दिनांक 16-02-2026 समय 03.35 पी.एम पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा अग्रीम कार्यवाही हेतु स्वतन्त्र गवाह की आवश्यकता होने से कार्यालय पत्र कमांक 221 दिनांक 16.02.2026 श्रीमान संयुक्त आयुक्त निदेशक महोदय पशु पालन विभाग प्रतापगढ को दो स्वतंत्र गवाह भिजवाने बाबत् जरिये मेल पत्र प्रेषित किया गया। दिनांक 16-02-2026 समय 03.45 पी.एम पर पशु पालन विभाग प्रतापगढ़ से दो स्वतन्त्र गवाह उपस्थित आये जिनको मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने अपना परिचय देते हुए उनका परिचय पुछा तो उन्होने अपना नाम श्री विरेन्द्र सिंह राठौड पिता तेजसिहजी जाति राजपूत उम्र 35 साल निवासी बापुगली, धमोतर दरवाजा प्रतापगढ थाना कोतवाली प्रतापगढ जिला प्रतापगढ हाल पशुधन निरीक्षक जिला रोगनिदान केन्द्र प्रतापगढ, जिला प्रतापगढ एवं श्री जसपाल रैदास पिता श्री मुलचन्द रैदास उम्र 37 साल जाति रैदास निवासी रैदास मोहल्ला वार्ड नं. 5 पानमोडी प्रतापगढ हाल पशुधन निरीक्षक जिला रोग निदान केन्द्र प्रतापगढ जिला प्रतापगढ राज होना बताया। मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा दोनो गवाहान से बतौर स्वतन्त्र गवाहान उपस्थित रहने बाबत् सहमति चाही गई जिस पर दोनो गवाहान ने अपनी-अपनी मोखिक सहमति व्यक्त की एंव पहचान के सम्बध मे दोनो के आधार कार्ड एंव कार्यालय पत्र क्रमांक 5449 दिनांक 16.02.2026 प्रस्तुत किये जिन्हे प्राप्त कर शामिल कार्यवाही किया जाकर दोनों गवाहों को कार्यालय में सुरक्षित बिठाया गया। दिनांक 16-02-2026 समय 03.50 पी.एम पर परिवादी डॉ. राकेश पाटीदार व दोनो स्वतन्त्र गवाहान का आपस में परिचय करवाया गया तथा परिवादी डॉ. राकेश पाटीदार द्वारा पेश हस्तलिखित रिपोर्ट दिनांक 03.01.2026 व दिनांक 16.02.2026 को दोनो स्वतंत्र गवाहान के समक्ष पढ़कर सुनाई गई तो परिवादी ने शब्द-ब-शब्द सही होना मान रिपोर्ट स्वयं हस्तलिखित हो हस्ताक्षर अंकित होना जाहिर किया। उक्त रिपोर्ट पर दोनो स्वतंत्र गवाहान ने पढ़कर हस्ताक्षर किये। दिनांक 16-02-2026 समय 04.00 पी.एम पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा कार्यालय के मालखाना प्रभारी श्री दिलीप कुमार से डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर में लगे मेमोरी कार्ड जिसमें दिनांक 03.01.2026 को परिवादी व आरोपी महेश पाटीदार के मध्य समय 11.05 एएम व समय 11.08 एएम पर जरिये वॉट्सअप कॉल हुई वार्ता जिसे ब्यूरो के डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड में कानि. नरेन्द्र सिह नं. 324 द्वारा परिवादी का फोन लाउडस्पीकर रख रिकोर्ड किया एवं समय 12.19 पीएम पर खाली वार्ता तथा दिनांक 06.01.2026 समय 05.06 पीएम पर परिवादी, आरोपी महेश पाटीदार एवं संदिग्ध सीएमएचओ श्री जीवराज मीणा के मध्य हुई आमने सामने हुई वार्ता जिसे ब्यूरो के डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड में परिवादी डॉ राकेश पाटीदार ने रिकॉर्ड किया उक्त डिजिटल वाईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड सुपुर्द करने हेतु निर्देशित किया जिस पर कानि दिलीप कुमार ने कार्यालय के मालखाना से निकालकर पेश किये। दिनांक 03.01.2026 को परिवादी व आरोपी महेश पाटीदार के मध्य समय 11.05 एएम व समय 11.08 एएम पर जरिये वॉट्सअप कॉल हुई वार्ता जिसे ब्यूरो के डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड में कानि. नरेन्द्र सिह नं. 324 द्वारा परिवादी का फोन लाउडस्पीकर रख रिकोर्ड किया एवं समय 12.19 पीएम पर खाली वार्ता जिसे दोनो स्वतंत्र गवाह के समक्ष उक्त डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर को ब्यूरो के कम्प्युटर से कनेक्ट करा श्री नरेन्द्र सिंह कानि. नं. 324 से प्रत्येक वार्ता की फर्द ट्रांसक्रिप्ट तैयार करवाई जाकर स्वतंत्र गवाह को सुनाई एवं पढाई गई तो जिसे सही मान

परिवादी एवं दोनो स्वतंत्र गवाह ने अपने अपने हस्ताक्षर किये। उक्त वार्ता के मूल मेमोरी कार्ड से पेन ड्राईव पृथक से तैयार किया जावेगा। दिनांक 16-02-2026 समय 04.25 पी.एम पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा दिनांक 06.01.2026 समय 05.06 पीएम पर परिवादी, आरोपी महेश पाटीदार एवं आरोपी सीएमएचओ श्री जीवराज मीणा के मध्य हुई आमने सामने हुई वार्ता जिसे ब्यूरो के डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड में परिवादी डॉ राकेश पाटीदार ने रिकॉर्ड किया जिसे दोनो स्वतंत्र गवाह के समक्ष उक्त डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर को ब्यूरो के कम्प्युटर से कनेक्ट करा श्री नरेन्द्र सिंह कानि. नं. 324 से प्रत्येक वार्ता की फर्द ट्रांसक्रिप्ट तैयार करवाई गई जिसमें फर्द ट्रांसक्रिप्ट 02 घण्टा 40 मीनट 46 सेकण्ड तक की फर्द ट्रांसक्रिप्ट स्वतंत्र गवाह को सुनाई एवं पढाई गई तो जिसे सही मान परिवादी एवं दोनो स्वतंत्र गवाह ने अपने अपने हस्ताक्षर किये। उक्त वार्ता के मूल मेमोरी कार्ड से पेन ड्राईव पृथक से तैयार किया जावेगा। इमरोज वक्त रात्री का हो समय 11.50 पी.एम. होने व ब्यूरो के डिजिटल वॉइस रिकॉर्डर में रिकोर्डशुदा कुल वार्ता 03 घण्टा 24 मीनट 41 सेकण्ड तक की होने से 02 घण्टा 40 मीनट 47 सेकण्ड से लगातार शेष फर्द ट्रांसक्रिप्ट आईन्दा तैयार की जायेगी। दोनो स्वतंत्र गवाह व परिवादी डॉ राकेश पाटीदार को कल सुबह 06.00 ए.एम पर ब्यूरो कार्यालय पर उपस्थित होने हेतु हिदायत मुनासिब कर रूखसत किया गया। तथा मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा उक्त मेमोरी कार्ड मय डिजिटल वॉइस रिकॉर्डर को मालखाना इंचार्ज श्री दिलीप कुमार कानि. नं. 319 को मालखाना में सुरक्षित रखने हेतु निर्देशित किया गया। दिनांक 17-02-2026 समय 06.00 एएम पर परिवादी डॉ राकेश पाटीदार, स्वतंत्र गवाह श्री विरेन्द्र सिंह एवं श्री जसपाल रैदास पुर्व के पाबन्दशुदा उपस्थित कार्यालय आये। जिन्हे सुरक्षित कार्यालय में बैठाया गया। दिनांक 17-02-2026 समय 06.10 ए.एम पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा कानि दिलीप कुमार नं. 319 को कार्यालय के मालखाने से डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर में लगे मेमोरी कार्ड दिनांक 03.01.2026 को परिवादी व आरोपी महेश पाटीदार के मध्य समय 11.05 एएम व समय 11.08 एएम पर जरिये वॉट्सअप कॉल हुई वार्ता जिसे ब्यूरो के डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड में कानि. नरेन्द्र सिह नं. 324 द्वारा परिवादी का फोन लाउडस्पीकर रख रिकोर्ड किया एवं समय 12.19 पीएम पर खाली वार्ता तथा दिनांक 06.01.2026 समय 05.06 पीएम पर परिवादी, आरोपी महेश पाटीदार एवं आरोपी सीएमएचओ श्री जीवराज मीणा के मध्य हुई आमने सामने हुई वार्ता जिसे ब्यूरो के डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड में परिवादी डॉ राकेश पाटीदार ने रिकॉर्ड किया उक्त डिजिटल वॅईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड सुपुर्द करने हेतु निर्देशित किया गया जिस पर कानि दिलीप कुमार ने पेश किया। दिनांक 06 01.2026 समय 05.06 पीएम पर परिवादी, आरोपी महेश पाटीदार एवं आरोपी सीएमएचओ श्री जीवराज मीणा के मध्य हुई आमने सामने रूबरू हुई वार्ता जिसकी पूर्व में 02 घण्टा 40 मीनट 46 सेकण्ड तक की फर्द ट्रांसक्रिप्ट तैयार कर दी गई थी इमरोज डिजिटल वॉइस रिकोर्डर समय 02 घण्टा 40 मीनट 47 सेकण्ड से आगे लगातार रिकोर्ड वार्ता की फर्द ट्रांसक्रिप्ट कानि नरेन्द्र सिंह नं. 324 द्वारा शुरू की गई जिसे दोनो स्वतंत्र गवाह के समक्ष रिकॉर्ड शुदा वार्ता को चलाकर सुनाया गया तथा उक्त डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर को ब्यूरो के कम्प्युटर से कनेक्ट करा श्री नरेन्द्र सिंह कानि. नं. 324 से प्रत्येक वार्ता की पृथक से फर्द ट्रांसकिप्ट तैयार करवाई जाकर स्वतंत्र गवाह को सुनाई एवं पढाई गई तो जिसे सही मान परिवादी एवं दोनो स्वतंत्र गवाह ने अपने अपने हस्ताक्षर किये। उक्त वार्ता के मूल मेमोरी कार्ड से पेन ड्राईव पृथक से तैयार किया जावेगा। दिनांक 17-02-2026 समय 10.15 ए.एम पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा कानि दिलीप कुमार नं. 319 को कार्यालय के मालखाने से डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर में लगे मेमोरी कार्ड दिनांक 30.01.2026 समय 11.35 ए.एम. पर कोई वार्ता नही एवं दिनांक 30.01.2026 समय 11.42 एएम पर परिवादी, आरोपी महेश पाटीदार एवं आरोपी सीएमएचओ श्री जीवराज मीणा के मध्य हुई आमने सामने वार्ता जिसे परिवादी डॉ राकेश पाटीदार ने रिकॉर्ड किया उक्त डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड सुपुर्द करने हेतु निर्देशित किया गया जिस पर कानि दिलीप कुमार ने पेश किया। दिनांक 30.01.2026 समय 11.35 ए.एम. पर कोई वार्ता नही एवं दिनांक 30.01.2026 समय 11.42 एएम पर परिवादी, आरोपी महेश पाटीदार एवं आरोपी सीएमएचओ श्री जीवराज मीणा के मध्य हुई आमने सामने वार्ता जिसे परिवादी डॉ राकेश पाटीदार ने रिकॉर्ड किया जिसे दोनो स्वतंत्र गवाह के समक्ष रिकॉर्ड शुदा वार्ता को पृथक से चलाकर सुनाया गया तथा उक्त डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर को ब्यूरो के कम्प्युटर से कनेक्ट करा श्री नरेन्द्र सिंह कानि. नं 324 से उक्त वार्ता की पृथक से फर्द ट्रांसक्रिप्ट तैयार करवाई जाकर स्वतंत्र गवाह को सुनाई एवं पढाई गई तो जिसे सही मान परिवादी एवं दोनो स्वतंत्र गवाह ने अपने अपने हस्ताक्षर किये। उक्त वार्ता के मूल मेमोरी कार्ड से पेन ड्राईव पृथक से तैयार किया जावेगा। दिनांक 17-02-2026 समय 01.30 पी.एम पर दिनांक 03.01.2026 समय 11.05 एएम पर परिवादी के मोबाईल नम्बर   से आरोपी महेश पाटीदार के मोबाईल नम्बर   पर जरिये वॉट्सअप कॉल पर रिंग जाने की आवाज व दिनांक 03.01.2026 समय 11.08 एएम पर आरोपी महेश पाटीदार के मोबाईल नम्बर   से परिवादी के मोबाईल नम्बर   पर जरिये वॉट्सअप कॉल हुई वार्ता जिसे ब्यूरो के डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड में कानि. नरेन्द्र सिह नं. 324 द्वारा परिवादी का फोन लाउडस्पीकर रख ब्यूरो के डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर में रिकोर्ड किया गया एवं दिनांक 03.01. 2026 समय 12.19 पीएम पर कोई वार्ता नही तथा दिनांक 06.01.2026 समय 05.06 पीएम पर परिवादी, आरोपी महेश पाटीदार एवं आरोपी सीएमएचओ श्री जीवराज मीणा के मध्य हुई आमने सामने हुई वार्ता जिसे परिवादी डॉ राकेश पाटीदार ने ब्यूरो के डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर

में रिकोर्ड किया गया कुल 04 वार्ता जिसे नियमानुसार ब्यूरो के कम्प्यूटर से डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड को कनेक्ट करा श्री ईश्वरलाल कानि. नं. 320 से उक्त वार्ताओ की पृथक पृथक चार पैन ड्राईव प्रत्येक पर केडीएम लिखा हुआ केडीएम कम्पनी का बरंग सिल्वर 8 जीबी की तैयार की गई। तथा दिनांक 30.01.2026 समय 11.35 ए.एम. पर कोई वार्ता नही एवं दिनांक 30.01.2026 समय 11.42 एएम पर परिवादी, आरोपी महेश पाटीदार एवं आरोपी सीएमएचओ श्री जीवराज मीणा के मध्य आमने सामने हुई वार्ता जिसे परिवादी डॉ राकेश पाटीदार ने ब्यूरो के डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर में रिकोर्ड किया गया कुल 02 वार्ता जिसे नियमानुसार ब्यूरो के कम्प्यूटर से डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड को कनेक्ट करा श्री ईश्वरलाल कानि नं. 320 से उक्त वार्ताओ को पृथक पृथक उन्ही चारो पैन ड्राईव में लिया गया प्रत्येक पर केडीएम लिखा हुआ केडीएम कम्पनी का बरंग सिल्वर 8 जीबी की तैयार की जाकर कुल 06 वार्ताओ की चारो पैन ड्राईव की पृथक पृथक हेश वेल्यू कानि ईश्वर लाल नं. 320 से निकलवाई गई। जिस पर परिवादी एवं दोनो स्वतंत्र गवाह ने हस्ताक्षर किये। उक्त चारो पेन ड्राईव में से एक पेन ड्राईव न्यायालय, दुसरा पेन ड्राईव आरोपी हेतु, तीसरा मूल पेन ड्राइव तथा चौथा अनुसंधान अधिकारी हेतु पेन ड्राईव है। मूल पेन ड्राईव न्यायालय पेन ड्राईव व आरोपी पेन ड्राइव को पृथक-पृथक कवर में रखकर अलग-अलग सफेद कपडे की थेली में रखकर नियमानुसार परिवादी एवं दोनो स्वंतत्र गवाहो के समक्ष सिलचिट बंद कर फर्द जब्ती परिवादी एवं दोनो स्वतंत्र गवाहो के समक्ष तैयार की गई जिस पर परिवादी एवं दोनो स्वतंत्र गवाहो ने हस्ताक्षर किये। अनुसंधान अधिकारी पेन ड्राईव केडीएम कम्पनी का बरंग सिल्वर स्टील 8 जीबी को अलग लिफाफे में बंद कर रखा जिस पर परिवादी एवं दोनो स्वतंत्र गवाहो ने हस्ताक्षर किये। दिनांक 17-02-2026 समय 05.00 पी.एम पर दिनांक 03.01.2026 को समय 11.05 ए.एम. तथा 11.08 ए.एम पर परिवादी व आरोपी महेश पाटीदार के मध्य जरिये वॉट्सअप कॉल वार्ता व दिनांक 03.01.2026 को 12.19 पी.एम. पर खाली वार्ता जिसे कानि नरेन्द्र सिह नं. 324 द्वारा परिवादी का फोन लाउडस्पीकर रख ब्यूरो के डिजिटल वॉइस रिकॉर्डर में रिकोर्ड किया गया एवं दिनांक 06.01.2026 समय 05.06 पी.एम. पर परिवादी, आरोपी महेश पाटीदार एवं आरोपी सीएमएचओ श्री जीवराज मीणा के मध्य हुई आमने सामने हुई वार्ता जिसे ब्यूरो के डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड में परिवादी डॉ राकेश पाटीदार ने रिकोर्ड किया कुल 04 वार्ता जो नियमानुसार ब्यूरो के डिजिटल बॉइस रिकोर्डर मय मेमोरी कार्ड में रिकॉर्ड की गई। उक्त मूल मेमोरी कार्ड की हेश वेल्यू नियमानुसार श्री ईश्वरलाल कानि. नं. 320 से निकलवाकर उस पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर उक्त मेमोरी कार्ड को डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर में से मूल ही निकलवाया गया तो मेमोरी कार्ड बरंग काला केडिएम कम्पनी का 08 जी.बी. जिस पर केडिएम लिखा हुआ है, कवर में एक लिफाफे में रखकर एक सफेद कपडे की थेली में रखकर परिवादी एवं दोनो स्वतंत्र गवाहो के समक्ष जरिये फर्द वजह सबूत जब्त कर नियमानुसार मार्क M अंकित कर सिलचीट किया गया। जिस पर दोनो स्वतंत्र गवाहो एवं परिवादी ने अपने-अपने हस्ताक्षर किये। दिनांक 17-02-2026 समय 05.30 पी.एम पर दिनांक 30.01.2026 को समय 11.35 ए. एम. पर कोई वार्ता नही व समय 11.42 ए.एम पर परिवादी, आरोपी महेश पाटीदार एवं आरोपी सीएमएचओ श्री जीवराज मीणा के मध्य हुई आमने सामने वार्ता जिसे ब्यूरो के डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड में परिवादी डॉ राकेश पाटीदार ने रिकोर्ड किया कुल 02 वार्ता जो नियमानुसार ब्यूरो के डिजिटल वॉइस रिकोर्डर मय मेमोरी कार्ड में रिकॉर्ड की गई। उक्त मूल मेमोरी कार्ड की हेश वेल्यू नियमानुसार श्री ईश्वरलाल कानि. नं. 320 से निकलवाकर उस पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर उक्त मेमोरी कार्ड को डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर में से मूल ही निकलवाया गया तो मेमोरी कार्ड बरंग काला केडिएम कम्पनी का 08 जी.बी. जिस पर केडिएम लिखा हुआ है. कवर में एक लिफाफे में रखकर एक सफेद कपडे की थेली में रखकर परिवादी एवं दोनो स्वतंत्र गवाहो के समक्ष जरिये फर्द वजह सबूत जब्त कर नियमानुसार मार्क M-1 अंकित कर सिलचीट किया गया। जिस पर दोनो स्वतंत्र गवाहो एवं परिवादी ने अपने अपने हस्ताक्षर किये। दिनांक 17-02-2026 समय 06.00 पी.एम पर उक्त रिश्वत राशि मांग की कार्यवाही के दौरान सरकारी मोबाईल फोन सेमसंग कम्पनी के अन्दर एक नया मेमोरी कार्ड केडिएम कम्पनी बरंग काला 08 जी.बी. डलवाकर समस्त कार्यवाही की विडियोग्राफी करवाई गई थी। उक्त मोबाईल को श्री ईश्वर लाल कानि नम्बर 320 ने सरकारी कम्प्युटर से कनेक्ट करा विडियोग्राफी की दो पेनड्राईव तैयार की गयी। दोनो पेन ड्राईव कि अलग-अलग हेश वेल्यु निकाल कर परिवादी एवं स्वतंत्र गवाह के हस्ताक्षर करवाये गये। एक पेनड्राईव केडीएम कम्पनी बंरग सिल्वर 8 जीबी पर न्यायालय पैनड्राईव तथा दूसरी पेनड्राईव केडीएम कम्पनी बंरग सिल्वर 8 जी.बी पर आई.ओ. पैनड्राईव लिखा जाकर न्यायालय पेन ड्राईव अलग कवर में रखा जाकर एक सफेद कपडे की थेली में रखकर नियमानुसार सिलचिट बंद कर संम्बधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर पृथक से जरिये फर्द जब्त कर सम्बधितो के हस्ताक्षर करवाकर कब्जे ब्यूरो लिया गया तथा आईओ पेन ड्राईव को अलग लिफाफे में रखकर उस पर सम्बधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर सुरक्षित रखा गया। दिनांक 17-02-2026 समय 06.15 पी.एम पर उक्त रिश्वत राशि मांग की कार्यवाही के दौरान सरकारी मोबाईल फोन सेमसंग कम्पनी के अन्दर एक नया मेमोरी कार्ड केडिएम कम्पनी बरंग काला 08 जी.बी. डलवाकर समस्त कार्यवाही की विडियोग्राफी करवाई गई थी। उक्त मुल मेमोरी कार्ड 8 जीबी कि हेश वेल्यु निकाली जाकर मूल मेमोरी कार्ड केडीएम कम्पनी बंरग काला 8 जी.बी. को कवर में रखकर उस पर परिवादी एंव दोनो स्वतंत्र गवाहो ने हस्ताक्षर किये जिस पर एक सफेद कपड़े की थेली में रखकर नियमानुसार परिवादी एंव दोनो स्वतंत्र गवाहों के समक्ष सिलचिटबंद कर मार्क P-1 अंकित कर परिवादी एंव दोनो स्वतंत्र

गवाहो के हस्ताक्षर करवाये जाकर पृथक से जरिये फर्द जब्त कर परिवादी एंव दोनो स्वतंत्र गवाहों के हस्ताक्षर करवाकर कब्जे ब्यूरो लिया गया दिनांक 17-02-2026 समय 06.30 पी.एम पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रकरण से सम्बन्धित जब्तशुदा एवं अन्य समस्त आईटम को सुरक्षित कार्यालय के मालखाना में रखने हेतु श्री दिलीप कुमार कानि 319 को निर्देशित किया गया। दिनांक 17-02-2026 समय 07.00 पी.एम पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा परिवादी, दोनो स्वतंत्र गवाह श्री विरेन्द्र सिंह व श्री जसपाल रैदास को उक्त रिश्वत राशि मांग की कार्यवाही की दस्तावेजी कार्यवाही पुर्ण होने से रूखसत किया गया। अतः परिवादी की लिखित रिपोर्ट, फर्द ट्रांसक्रिप्ट रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता एवं गोपनीय जानकारी से आरोपी श्री जीवराज मीणा मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ अधिकारी (CMHO) प्रतापगढ़ एंव आरोपी श्री महेश पाटीदार संविदाकर्मी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ अधिकारी, प्रतापगढ के द्वारा परिवादी श्री डॉ राकेश पाटीदार से उसके द्वारा जिले में संचालित एस. एल. हॉस्पीटल की श्रृंखला एवं उसमें लगी सोनोग्राफी एवं अन्य मशीनो तथा विभिन्न राजकीय योजनाओ के संचालन के एम.ओ.यु. के बदले 2,50,000/- (दो लाख पच्चास हजार रूपये) की मांग करना एवं मासिक तौर पर 25.000/- (पच्चीस हजार रूपये) प्रति महीना की रिश्वत राशि की स्पष्ट मांग की गई है। अतः आरोपी 1. श्री जीवराज मीणा मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ अधिकारी (CMHO) प्रतापगढ राज के विरूद्ध धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) व धारा 61(2) बी.एन.एस 2023 2. श्री महेश पाटीदार संविदाकर्मी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ अधिकारी, प्रतापगढ़ के विरूद्ध धारा 7.7ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) व धारा 61(2) बी.एन.एस 2023 का अपराध का प्रमाणित होने से प्रकरण पंजीबद्ध करवाने हेतु रिपोर्ट श्रीमान की सेवामें सादर प्रेषित है। भवदीय, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, प्रतापगढ………..... कार्यवाही पुलिस.........प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईपशुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री विकम सिंह, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, प्रतापगढ़ ने प्रेषित की है मजमून रिपोर्ट से आरोपी 01 श्री जीवराज मीणा पिता श्री मकना जी मीणा उम्र 41 साल निवासी मियाला पोस्ट अणत धरियावद जिला प्रतापगढ राज हाल मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ अधिकारी प्रतापगढ जिला प्रतापगढ के विरूद्ध जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) एवं 61 (2) बी.एन.एस 2023 में एवं आरोपी 02. श्री महेश पाटीदार पिता गिरीराज पाटीदार उम्र 40 साल निवासी मकान नं. 8 बडोदिया,असनावर जिला झालावाड हाल संविदाकर्मी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ अधिकारी प्रतापगढ राज के विरूद्ध जुर्म अन्तर्गत धारा 7, 7ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) एवं 61 (2) बी.एन.एस 2023 में पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियां नियमानुसार जारी की गई। उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्री गोपाल स्वरूप मेवाडा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, चित्तौडगढ को मनोनित किया गया है। उक्त की रोजनामचाआम 501 पर अंकित है। (गोरधन लाल सौंकरिया) पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर। क्रमांक 1422-26 दिनांक 31.08.206 प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः-1-विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, प्रतापगढ़ 2-शासन संयुक्त सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2) एवं पंचायतीय राज (चिकित्सा) विभाग, राजस्थान, जयपुर 3-निदेशक (जन स्वास्थ्य) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर। 4-उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, रेंज उदयपुर 5-अति. पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, प्रतापगढ़ । पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** GOPAL SWAROOP MEWARA **Rank (पद):** अपर पुलिस अधीक्षक

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई|)

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Gordhan Lal Sonkaria
Location: Rajasthan,IN
Date: 31/08/2026 17:38:57

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Name(नाम): GORDHAN LAL SONKARIA

Rank (पद): SP (Superintendant of Police)

No(सं.):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	1985				
2	Male	1986				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)